समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

R-555-II/13

1. उर्मिला पत्नि दशरथ राय
सभी निवासी– ग्राम पुरैनिया तह.
पलेरा, जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.) ....आवेदक

//विरूद्ध//

गुमना उर्फ गुमान तनय दम्मे सौंर
निवासी–ग्राम रामनगर बुजुर्ग तह.
पलेरा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ म.प्र. के प्रकरण क्रमांक. 71/पुनविलोकन/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 03/01/2013 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि पारित आदेश के प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी दर्ज थी जो भू.रा.संहिता की धारा–165 के तहत प्रतिबंधित होने से उसने श्रीमान् तत्कालीन कलेक्टर टीकमगढ़ से वर्ष 2010 में भूमि विक्रय की अनुमति प्राप्त कर विधिवत् शासन की गाइड लाइन के अनुसार पूरा प्रतिफल प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित करे आवेदक को विक्रय की जिसने (क्रेतापक्ष) अधिपत्य प्राप्त कर विधिवत् राजस्व नामांतरण कराया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रथम पक्ष (अनावेदक) की आपत्ति के प्रश्नाधीन आदेश को वैद्य न मानते हुए श्रीमान् न्यायालय से पुनः अवलोकन की अनुमति लेकर पुनः सुनवाई में तत्कालीन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 555–दो/2013 जिला टीकमगढ़

उर्मिला विरूद्ध गुमना उर्फ गुमान

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 71/पुनर्विलोकन/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 03–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–05–2019 को आयुक्त सागर कें न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 08/3/19 सदस्य	